



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2016/आषाढ़ 22, 1938

No. 288]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2016/ASADHA 22, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सं. भा.आ.प.-12(2)/2016/टी.ई.क्यू./120023.-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में आगे संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2016" कहा जाए।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में "रेडियोथेरेपी विभाग में शैक्षिक योग्यताएं, कॉलम के अंतर्गत एम.डी. (रेडियो-निदान)/एम.डी. (रेडियोलोजी)/एम.एस (रेडियोलोजी) का विलोप किया जाएगा तथा निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा।

"एम.डी. (रेडियोथेरेपी)"

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III/4/असा./169 (100)]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 05 दिसंबर, 1998 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16.03.2005, 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010, 28.07.2011, 01.10.2012 और 20.04.2015 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2016

No. MCI-12(2)/2016/TEQ/120023.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, namely:—

1 (i) These Regulations may be called the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2016.”

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in the column Academic Qualifications in the department of Radiotherapy, the following shall be deleted M.D. (Radio-Diagnosis)/M.D.(Radiology)/M.S. (Radiology) and the following shall be added as under:-

”M.D. (Radiotherapy)”

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)

[ADVT. III/4/Exty./169 (100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998” were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 3.11.2010, 28.7.2011 & 1.10.2012 & 20.4.2015.